

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)  
(पीठासीन अधिकारी-अमनदीप सिंह छाबड़ा)

प्रकरण क्रमांक 871/16  
संस्थित दिनांक-19/12/16  
फा.नंबर-3015452016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1. बसंतदास पिता लखनदास, उम्र-20 वर्ष,  
निवासी ग्राम निक्कुम, गोण्डीटोला थाना,  
मलाजखण्ड जिला बालाघाट।

2. उदेलाल पिता हेमन्त आर्मी, उम्र-33 वर्ष,  
निवासी भेलवाटोला करमसरा,  
थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट।

— — — आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-03/11/2017 को घोषित)

01— अभियुक्त बसंतदास पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 01.12.2016 को समय 14:00 बजे ग्राम निक्कुम मरारीटोला प्रार्थिया के घर के सामने मेन रोड पर थाना मलाजखण्ड लोकमार्ग पर वाहन मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी. 50/एम.एच.-9951 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत कु0 निधि को टक्कर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना ड्राइविंग लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया एवं अभियुक्त उदेलाल के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा-146/196, 5/180 के तहत आरोप है कि उसने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना ड्राइविंग लायसेंस धारक से बिना वैद्य बीमा के चलवाया।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्रीमती देवी भवरे ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 01.12.16 को वह लकड़ी के लिये जंगल चली गई थी, करीब 2:15 बजे घर वापस आई तो उसकी बेटी कु0 निधि उम्र- 03 वर्ष रो रही थी। उसने अपनी सास

चैनबतीबाई से पूछा कि क्या हो गया है, तब उसने बताई कि करीब 2:00 बजे दिन में निधी घर के सामने रोड किनारे खड़ी थी, उसी समय उनके गांव का बसंतदास पनिका ने निधी को तेज रफ्तार, लापरवाहीपूर्वक मोटर सायकल चलाकर ठोस मार दिया है, जिससे निधी रोड पर गिर गयी थी और गिरने से उसे सिर, बांये आंख के पास एवं दोनो पैरों की पिंडली में चोटें आई है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 180/16 धारा 279, 337 ताहि. 184 मो.या.अधि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थिया एवं साक्षीगण के कथन लेख किये गये। घटनास्थल का मौका-नक्शा तैयार किया गया। घटना में प्रयुक्त वाहन मोटर सायकिल को जप्त कर मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। आरोपी चालक बसंतदास का उपस्थिति पंचनामा तैयार किया गया। प्रकरण की धाराओं में 07 वर्ष से कम सजा का प्रावधान पाये जाने एवं न्यायालयों के आदेशों का पालन करते हुये आरोपी मोटर सायकिल चालक बसंतदास को धारा-41(1) जा.फौ. की नोटिस विधिवत समक्ष गवाहों के तामील की गयी। आरोपी बसंतदास द्वारा लाईसेंस एवं वाहन का बीमा पेश न करने पर मो.व्ही.एक्ट की धारा-3/181, 146/196 तथा वाहन के पंजीकृत स्वामी द्वारा बिना लाईसेंसधारी व्यक्ति को वाहन चलाने देने से एवं बिना वैध बीमा के वाहन चलवाये जाने से मो.व्ही.एक्ट की धारा-146/196, 5/180 का ईजाफा किया गया था। आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र क्र.149/16 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

**03-** आरोपी बसंतदास को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं मो.या.अधि.की धारा 3/181, 146/196 तथा आरोपी उदेलाल को मो.व्ही. एक्ट की धारा-5/180 एवं 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

**04-प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-**

1. क्या आरोपी बसंतदास ने घटना दिनांक-01.12.2016 को समय 14:00 बजे ग्राम निक्कुम मरारीटोला प्रार्थिया के घर के सामने मेन रोड पर थाना मलाजखण्ड में वाहन मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.

50/एम.एच.-9951 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या आरोपी बसंतदास ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत कु0 निधि को टक्कर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

3. क्या आरोपी बसंतदास ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना ड्राईविंग लायसेंस एवं बीमा के चलाया ?

4. क्या आरोपी उदेलाल ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना ड्राईविंग लायसेंस धारक से बिना बीमा के चलवाया ?

### **::सकारण निष्कर्ष::**

#### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02**

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

**05—** साक्षी देवी भवरे अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी बसंतदास को जानती है। घटना पिछले वर्ष 01 दिसम्बर के लगभग दो बजे ग्राम निक्कुम में उसके घर के सामने की है। घटना के समय वह काम करने के लिए बाहर गयी थी, जब वापस आयी तो देखी कि उसकी तीन साल की लड़की निधि को चोटें आयी हुई थी। उसने अपनी सास चैनबती से पूछा तो उसने बताया कि खेलते समय घर के बाहर निधि को चोट लग गयी। बाद में उसने निधि का इलाज बिरसा अस्पताल में करवाया। उसने घटना की रिपोर्ट नहीं की थी और न ही पुलिस को कोई बयान दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना के समय घर पर चैनबतीबाई ने उसे बताया था कि रोड के सामने खड़े होने के दौरान आरोपी ने निधि को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर ठोस मार दिया, जिससे वह गिर गयी और उसे सिर, बांयी आँख और पैरों पर चोटें आयी थी, जिसे उसने और पड़ोसी धनीराम भौरे ने उठाकर लाये थे, उसने अपने पति को फोन द्वारा घटना की बात बतायी, जिसके बाद आरोपी बसंतदास के घर जाकर पूछने पर बसंतदास ने एक्सीडेंट करना बताया एवं इलाज करा देने की बात कही, बसंतदास के इलाज नहीं करवाने पर उसने अगले दिन घटना की रिपोर्ट मलाजखण्ड थाने में दर्ज करायी थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र0पी.-01 पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने पुलिस को ऐसा कथन देने से इंकार किया।

**06—** साक्षी देवी भवरे अ.सा.01 ने अभियोजन के इन सुझावों अस्वीकार किया कि उसने पुलिस को घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी थी, परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि पुलिस को उसने घटनास्थल बताया था, परंतु मौका-नक्शा प्र.पी.03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए वह न्यायालय में असत्य कथन कर रही है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी बच्ची को खेलते समय चोटें आयी थी, उसने पुलिस को आरोपी द्वारा दुर्घटना कारित करने वाली बात नहीं बताया थी।

**07—** साक्षी धनीराम भवरे अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी बसंतदास को जानता है। घटना पिछले वर्ष 01 दिसम्बर के लगभग दो बजे ग्राम निक्कुम उसके घर के सामने की है। घटना के समय निधि घर के सामने सड़क किनारे खेल रही थी। खेलते समय घर के बाहर निधि को चोट लग गयी, जिसके बाद उसने और उसकी चाची चैनबती ने निधि का बिरसा अस्पताल में ईलाज करवाया। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसने पुलिस को कोई बयान दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना के समय उसके सामने साईड से मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.एच.-9951 का चालक आरोपी बसंतदास अपनी मोटरसाइकिल को तेजगति और लापरवाहीपूर्वक ले जाकर घर के सामने खेल रही निधि को ठोस मारकर घायल कर दिया, ठोस मारने के बाद उसने और चाची चैनबतीबाई ने निधि को उठाया, जिसके सिर व बांयी आंख के नीचे चोट आयी थी, जिसके बाद उसे घर लेकर गये, तब तक निधि की माँ देवीबाई आ गयी, जिसे चैनबतीबाई ने घटना बतायी, देवीबाई ने अपने पति हसीन भौरे को फोन कर घटना के बारे में बताया, दोनों पति-पत्नि घायल बच्ची को लेकर बसंत के घर गये और उपचार कराने हेतु आपसी राजीनामा किया, जिसके पश्चात उपचार नहीं कराने के कारण दिनांक 02.12.16 को देवीबाई उक्त घटना की रिपोर्ट करने थाना गयी थी। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र0पी.04 पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने पुलिस को ऐसा कथन देने से इंकार किया। यह कहना गलत है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए आज वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि बच्ची को खेलते समय चोटें आयी थी, उसने पुलिस को आरोपी द्वारा दुर्घटना कारित करने वाली बात नहीं बताया थी।



**08—** साक्षी रामभजन साहू अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह दिनांक 02.12.16 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी के आदेशानुसार अपराध क्र 180/16 धारा 279, 337 भा.दं०स० की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 03.12.16 को प्रार्थी श्रीमति देवी भांवरे की निशादेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.03 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.एच-9951 आरोपी चालक बसंतदास के पेश करने पर तथा उक्त वाहन की आर.सी. को दिनांक 04.12.16 को 16:40 बजे समक्ष गवाहों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.05 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी बसंतदास का उपस्थिति पंचनामा दिनांक 04.12.16 को समय 16:30 बजे उसके द्वारा समक्ष गवाहों के तैयार किया गया था, जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी चालक बसंतदास को उक्त दिनांक को ही धारा-41ए जा०फौ० के अंतर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु गवाहों के समक्ष विधिवत नोटिस तामील की गयी है, जो प्र.पी. 06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर हैं।

**09—** साक्षी रामभजन साहू अ.सा.03 के अनुसार दिनांक 03.12.16 को प्रार्थी श्रीमति देवी भावरे, गवाह श्रीमती चैनबतीबाई, धनीराम भावरे, गब्बूचंद भावरे के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। आरोपी चालक द्वारा स्वयं के नाम का लाईसेंस एवं वाहन का बीमा पेश न करने पर मो.व्ही.एक्ट की धारा 3/181, 146/196 तथा वाहन के पंजीकृत स्वामी द्वारा बिना लाईसेंस के चालक से वाहन चलाने देने से मो.व्ही.एक्ट की धारा 5/180 का ईजाफा किया गया था। आरोपी चालक बसंतदास का कृत्य अपराध धारा-279, 337, 3/181, 146/196 मो.व्ही.एक्ट में सबूत पाये जाने से अभियोग पत्र क्रमांक 149/16 दिनांक 09.12.16 को तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने अस्वीकार किया कि उसने मौकानक्शा थाने में बैठकर बनाया था, आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की गयी थी, उसने गवाहों

के बयान अपने मन से लेखबद्ध किया था, उसने आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया है।

**10—** उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.सं. के अपराध के आरोप में लेशमात्र तथ्य भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि घटना के साक्षियों ने आहत निधी को खेलने के दौरान चोटें आने के कथन किये हैं और प्रकरण में आरोपी की किसी गलती से स्पष्ट इंकार किया है, परंतु जहाँ तक मोटर यान अधिनियम के आरोपों के संबंध में विवेचक साक्षी रामभजन साहू अ.सा.03 द्वारा उक्त संबंध में अखण्डनीय कथन किये हैं। यद्यपि घटनास्थल के किसी साक्षी ने घटना के समय आरोपी द्वारा वाहन चालन के कोई कथन नहीं किये हैं, तथापि मात्र उक्त आधार पर विवेचक साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास करना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य नहीं है कि विवेचक द्वारा अभियुक्तगण को मिथ्या आलिप्त किया गया हो। स्वयं अभियुक्तगण द्वारा भी मोटर यान अधिनियम के आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही अभियुक्त बसंतदास द्वारा अपने परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द.प्र.सं. संहिता में यह व्यक्त किया है कि घटना के समय वह वाहन नहीं चला रहा था और अन्यत्र उपस्थित था। घटना के समय अनुज्ञप्ति तथा बीमा होने के विशिष्ट तथ्यों को साबित करने का भार अभियुक्त पर था, परंतु अभियुक्तगण तत्संबंध में पूर्णतः मौन है। फलतः उक्त संबंध में साक्षी रामभजन साहू अ0सा0-03 की साक्ष्य पर अविश्वास का कोई कारण दर्शित नहीं होता।

**11—** उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना के समय अभियुक्त बसंतदास द्वारा अपने वाहन मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.एच.-9951 को बिना किसी वैध लाइसेंस एवं बिना बीमा के चलाया एवं अभियुक्त उदेलाल ने उक्त वाहन को बिना लाइसेंसधारी व्यक्ति से बिना बीमा कराये चलवाया।

**12—** फलतः अभियुक्त बसंतदास को धारा 279, 337 भा.द.वि. के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है, परंतु मो.या.अधि. की धारा 3/181, 146/196 एवं अभियुक्त उदेलाल को मोटर यान अधिनियम की धारा-146/196, 5/180 के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

**13—** अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उन्हें अपराधी परवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उनके विरुद्ध नर्म रुख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उन्हें एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।

**14—** अतः अभियुक्त बसंतदास को मो.या.अधि. की धारा-3/181, 146/196 के अपराध के लिए क्रमशः 500-1000/- (पांच सौ), (एक हजार) रुपये कुल 1,500/- (एक हजार पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त उदेलाल को मोटर यान अधिनियम की धारा-146/196, 5/180 के अपराध के लिये क्रमशः 1000-1000 (एक-एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिए एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

**15—** अभियुक्तगण प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहे हैं, उक्त संबंध में धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

**16—** अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

**17—** प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.एच.-9951 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष मे

उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

**18—** अभियुक्तगण को निर्णय की प्रतिलिपि धारा-363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)